कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको./ लखनऊः दिनांक 8/2/ 2016

विस्तार

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या 1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित चिकित्सकों** को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में जन्म तिथि से 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की है तथा सम्बन्धित चिकित्सालय में अपनी सेवा की निरंतरता बनाये रखते हुए कार्यरत रहे हैं, तो उनका सेवा विस्तार उसी दिनांक से माना जाय, तथा उनके वेतन आदि के भुगतान भी उसी के अनुसार किया जाय, **अन्यथा की दशा में जो विशेषज्ञ चिकितसा अधिकारी जिस तिथि से अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें, तब से उन्हें कार्यरत माना जाय, को उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय** में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया गया है।

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो से अधिक न हो। पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र आवष्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय/ जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1.	डा0 रवि चौपड़ा –4052	स्व0 हरि कृष्ण लाल चोपड़ा	05.09.1952	30.09.2012 लखनऊ	एम0एस0 आर्थ	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ
2.	डा0 राकेश कुमार खट्टर–3490	स्व0 देव राज खट्टर	05.07.1953	31.07.2015 अमरोहा	डिप्लोमा आर्थोपैडिक्स	जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्ध नगर
3.	डा0 गौरी शंकर जयसवाल	स्व0 कृष्णा प्रसाद जयसवाल	05.08.1954	31.08.2014 गाजियाबाद	कार्डियालोजिस्ट	जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्ध नगर
4.	डा0 शान्ती कुमारी –5140	डा0 राजेन्द्र कुमार गुप्ता	10.05.1954	31.05.2014 वाराणसी	डी0जी0ओ0	पंडित दीन दयाल उपाध्या राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी
5.	डा0 अशोक कुमार गुप्ता –	स्व0 रामसेवक गुप्ता	13.04.1952	30.04.2012 कानपुर देहात	डी0सी0पी0	संयुक्त चिकित्सालय अकबरपुर कानपुर देहात
6.	डा0 विजय सिंह –7113	श्री सोहन लाल	09.07.1954	31.07.2014 बरेली	एम0डी0 मानसिक रोग	मण्डलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक म0प्र0 जिला सं0 चिकि0 बरेली
7.	डा0 रघुवीर सिंह	स्व0 बेचे लाल	20.09.1954	30.09.2014 कन्नौज	डी0 आर्थोपेडिक	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त जिला चिकि0 कानपुर देहात

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक

संख्या–प्रशि.प्रको./1494-1503 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

पंजीकृत 1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

जीकृत 3– मिशन निदेशक, एन0आर0एम0एम0, लखनऊ।

पंजीकृत 4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

5– महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, लखनऊ।

पंजीकृत 6– संबंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला (पुरूष/महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।

पंजीकृत 7– संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8– चिकित्सा अनुभाग–2/3, उत्तर प्रदेश शासन।

पंजीकृत 9– संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर ले तथा इसकी सूचना उचित माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया जायेगा तो, यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नही है और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

10–गार्ड फाइल।

(डा0 पूर्णिमा श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)